न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज, जिला–देहरादून

मूल वाद संख्या–196/2022

अमन नागलिया बनाम जितेन्द्र नागलिया आदि

निस्तारण प्रा0 पत्र 15ग2 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11सी.पी.सी.

05–12–2023

प्रतिवादीगण की ओर से उपरोक्त प्रार्थना पत्र कागज सं0 15ग2 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि वादी द्वारा दो विक्रय पत्रो द्वारा पंकज नागलिया से सम्पत्ति क्रय करना बताया है परन्तु वाद में पंकज नागलिया को पक्षकार नहीं बनाय गया है । वाद में वाद कारण का अभाव है। वाद का मूल्यांकन विधिनुसार नहीं किया गया है । साथ ही सूची सम्पत्ति पहचान योग्य नहीं है। अंत में वाद नामंजूर किये जाने की याचना की है।

2– वादी पक्ष की ओर से आपत्ति 17ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र आधारहीन एवं वास्तविकता के विपरीत है तथा कानूनन पोषणीय नहीं है इस कारण प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य है । वाद में न तो पक्षकारो का अंसयोजन है तथा न ही मूल्यांकन त्रुटिपूर्ण है तथा पर्याप्त वाद कारण के आधार पर ही वाद योजित किया गया है प्रतिवादीगण द्वारा मात्र वाद में विलम्ब कारित करने हेतु यह प्रार्थना पत्र दिया गया है । प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये ।

3– दोनो पक्षो को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

4– आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 यह प्रावधान करता है कि–''वादपत्र निम्नलिखित दशा में नामंजूर कर दिया जायेगा।

क– जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है,

ख– जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्याकंन कम किया गया है अैर वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असल रहता है,

ग– जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्याकंन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

घ– जहां वादपत्र के कथन से प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,

ङः–जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता,

च– जहां वादी नियम 9 के प्रावधानो का अनुपालन करने में असफल रहता है,

5– न्यायालय का मत है कि मामला विचारण के प्रारम्भिक स्तर पर है तथा प्रतिवादीगण द्वारा अभी जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया है। यह सुस्थापित विधि है कि आदेश 7 नियम 11 के निस्तारण हेतु केवल वादपत्र के कथनो पर विचार किया जाना है । वर्तमान वाद वादी द्वारा वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में बिन्दु एफ.जी. पर निर्मित दीवार को ध्वस्त कर कामन रास्ते को रेस्टोर करने का आज्ञापक व्यादेश का वाद योजित किया है अन्य कोई अनुतोष वादी द्वारा नहीं चाहा है जिसका क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है तथा वादी द्वारा अपने वाद में दिनांक 17–07–2022 को वाद कारण स्पष्ट रूप से दर्शित किया गया है । इस प्रकार वादपत्र के अभिवचनो के आधार पर वादपत्र में अंकित कारण के दृष्टिगत ही वादी द्वारा प्रश्नगत वाद सिविल न्यायालय में संस्थित किया गया है । जहां तक वाद में पक्षकारो का कुसंयाजन/असंयोजन का प्रश्न है तथा मूल्यांकन का प्रश्न है, वादपत्र के अन्त में जो सूची सम्पत्ति है वह मौके पर पहचान योग्य नहीं है का प्रश्न है, यह उल्लेखनीय है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के संबंध में दर्शित आपत्तियों को प्रतिवादीगण अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद उक्त आपत्ति के संबंध में वाद बिन्दु विरचित किये जाने के उपरान्त ही न्यायालय द्वारा उनका निस्तारण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वादपत्र के अनुसार वाद Scandalous, Frivolous, Vexatious, Malicious वाद है यह साक्ष्य आने के उपरान्त ही स्पष्ट हो सकेगा । अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कोई पर्याप्त व युक्तियुक्त आधार नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र 15ग अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 निरस्त किया जाता है । आपत्तियां तदानुसार निस्तारित की जाती है । पत्रावली में सुनवाई की अगली तिथि– 14–12–2023 नियत की जाती है।

दि–05–12–2023

(कल्पना)
प्रथम अपर सिविल जज
देहरादून।